

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : प. 4(2)पपा/2020


जयपुर, दिनांक : 04.05.2020

—: आदेश :-

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(2)पपा/2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा राजस्थान पशुपालन सेवा के सयुक्त निदेशक डॉ० रामजीलाल मीणा की पुनर्विलोक एव पुनरीक्षण के आधार पदौन्नति किये जाने के फलस्वरूप समसंख्यक आदेश क्रमांक प. 4(2)पपा/2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा डॉ० मीणा का पदस्थापन अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग, उदयपुर के पद पर किया गया था, जिसके अनुसरण में डॉ० मीणा ने कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण दिनांक 31.03.2020 को निदेशालय पशुपालन में कार्यग्रहण कर लिया था।

वर्तमान में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सालयों/फार्मस/प्रयोगशालाओं का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु अनुमत किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.05.2020 तक भौतिक रूप से अपने नवीन पद स्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर addestate2@gmail.com पर सूचित करे, अन्यथा पदौन्नति आदेश निरस्त समझे जावेगें।

इसे सवौच्च प्राथमिकता देवे।



(डॉ० विरेन्द्र सिंह)
शासन उप सचिव

क्रमांक : प. 4(2)पपा/2020

जयपुर, दिनांक : 04.05.2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज० जयपुर।
4. संबंधित अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र)/सयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज० जयपुर।
6. निजी पंजिका/रक्षित पंजिका।


शासन उप सचिव